बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र06-कि0आ0-36/2008 3801 /खाद्य,पटना/दिनांक 4.09.09

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :- अनुकंपा के आधार पर किरासन तेल ठेला भेंडर की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग को जिलों से अनुकंपा के आधार पर ठेला भेंडर की अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र स्वीकार करने की अवधि के संबंध में निदेश/मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध प्राप्त होता रहता है ।

सम्यक् विचारोपरांत अनुकंपा के आधार पर ठेला भेंडर की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र समर्पित करने के संबंध में अवधि निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत मृत ठेला भेंडर के आश्रित मृत्यु की तिथि से दो वर्ष तक अनुकंपा के आधार पर ठेला भेंडर की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र समर्पित कर सकते हैं ।

अतएव अनुरोध है कि किरासन तेल ठेला भेंडर से संबंधित अनुकंपा के मामलों का उपर्युक्त निर्णय के संदर्भ में निष्पारण सुनिश्चित करें ।

इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक 3657 दिनांक 19.09.1996 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

4/09/09

सरकार के सचिव ।

D:\Drive_F\YEAR_2009\Section (6)\K oil.doc